

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 125/2020

रामोतार मीणा, ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 03.12.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.11.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 125/2020 पर दिनांक 06.11.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1960-1961 दिनांक 06.11.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू ने पत्रांक आरटीआई/2020/104 दिनांक 02.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के नियमों की जानकारी चाही गई थी जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/97 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू पत्रांक आरटीआई/2020/104 दिनांक 02.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के नियमों की जानकारी चाही गई थी जिसके संबंध में उक्त जानकारी अपने निजी कानूनी सलाहकार से लेने के लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/97 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।
आदेश आज दिनांक 03.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू